



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072020-220404
CG-DL-E-07072020-220404

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975]
No. 1975]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/ आषाढ़ 16, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASHADHA 16, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

का.आ. 2232(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xxv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पेंशन स्कीम टियर-2 कर बचत स्कीम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकारी” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “विनिधान” से केंद्रीय सरकार कर्मचारी द्वारा, इस स्कीम के अनुसार, किसी विनिर्दिष्ट खाते में अभिदाय अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विनिधान.- (i) ऐसा निर्धारिती, जो केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है, ऐसे विनिर्दिष्ट खाते में अभिदाय करेगा जिसे इस स्कीम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ पठित इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा क्रियाशील किया गया है।

(ii) विनिर्दिष्ट खाते को क्रियाशील करने के लिए अभिदाय की न्यूनतम रकम एक हजार रुपए होगी और पश्चातवर्ती अभिदाय की न्यूनतम रकम दो सौ पचास रुपए होगी।

4. परिबंधन अवधि.- इस स्कीम के अधीन किए गए अभिदाय की विनिर्दिष्ट खाते में रकम के जमा किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की परिबंधन अवधि होगी।

5. अंतरणीयता.- विनिर्दिष्ट खाते में किए गए अभिदाय को परिबंधन अवधि के दौरान समनुदेशित किए जाने, गिरवी किए जाने या आडमानित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 45 /2020/फा. सं. 370142/26/2019-टीपीएल]

गुदरून नेहार, निदेशक (कर नीति और विधान)